न्यायालयः अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश एस०सी०/एस०टी० एक्ट, हापुड़।
सत्र वाद संख्या– 1322/2024
सरकार बनाम गुलजार आदि।
मु०अ०सं०– 576/2024
अंतर्गत धारा– 115(2), 351(2), 352, 131
भा०न्या०सं० व 3(2)(va) एस०सी०/एस०टी० एक्ट।
थाना– पिलखुवा, जिला– हापुड़।

आदेश (आरोप विरचन के संदर्भ में)

दिनांकः– 17.10.2025

पत्रावली पेश हुई। पुकार कराई गई। अभियुक्तगण **गुलजार उर्फ मल्ला, मुस्तकीम व सुरजीत** जेरे जमानत उपस्थित।

अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आरोप विरचन के बिन्दु पर बहस की गई। विद्वान विशेष लोक अभियोजक (एस०सी०/एस०टी० एक्ट) को सुना गया। विद्वान विशेष लोक अभियोजक (एस०सी०/एस०टी० एक्ट) द्वारा अपने केस का खुलासा किया गया और उस साक्ष्य का उल्लेख किया गया, जिसके द्वारा उन्हें अभियोजन का पक्ष कथन सिद्ध करना है।

पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि अभियुक्तगण **गुलजार उर्फ मल्ला, मुस्तकीम व सुरजीत** के विरुद्ध भा०न्या०सं० की धारा 115(2), 351(2), 352, 131 एवं एस०सी०/एस०टी० एक्ट की धारा 3(2)(va) के अधीन आरोप विरचन हेतु पत्रावली पर पर्याप्त प्रलेखीय साक्ष्य उपलब्ध हैं। अतः अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध उक्त धाराओं के अधीन आरोप विरचित किया जाकर वास्ते अभियोजन साक्ष्य पत्रावली दिनांक 14.11.2025 को पेश हो।

दिनांकः– 17.10.2025

(हनी गोयल)
(J.O. CODE–UP02408)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश एस०सी०/एस०टी० एक्ट,
हापुड़।

Digitally signed by HONEY GOEL
Date: 2025.10.29 11:40:51 IST
Reason:
Document Owner
Location: District and Sessions Court

न्यायालयः अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश एस०सी०/एस०टी० एक्ट, हापुड़।
सत्र वाद संख्या– 1322/2024
सरकार बनाम गुलजार आदि।
मु०अ०सं०– 576/2024
अंतर्गत धारा– 115(2), 351(2), 352, 131
भा०न्या०सं० व 3(2)(va) एस०सी०/एस०टी० एक्ट।
थाना– पिलखुवा, जिला– हापुड़।

आरोप

मैं, हनी गोयल, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश एस०सी०/एस०टी० एक्ट, हापुड़ एतद्द्वारा आप अभियुक्तगण **गुलजार उर्फ मल्ला, मुस्तकीम व सुरजीत** को निम्नलिखित आरोपों से आरोपित करता हूं–

प्रथम– यह कि दिनांक 23.10.2024 को समय करीब 08.00 बजे शाम के पश्चात, बस्थान ग्राम वादी की दुकान मौहल्ला अशोक नगर, पिलखुवा चौकी क्षेत्र कस्बा, थाना पिलखुवा, जिला हापुड़ में आप अभियुक्तगण ने सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर उकसावे के बिना वादी मुकदमा देव कुमार के ऊपर आपराधिक बल का प्रयोग किया। इस प्रकार आपके द्वारा किया गया उक्त कृत्य भा०न्या०सं० की धारा 131 के अधीन दण्डनीय अपराध है, जो इस न्यायालय के संज्ञान में है।

द्वितीय– यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप अभियुक्तगण ने वादी मुकदमा के साथ मारपीट कर साधारण उपहति कारित की। इस प्रकार आपके द्वारा किया गया उक्त कृत्य भा०न्या०सं० की धारा 115(2) के अधीन दण्डनीय अपराध है, जो इस न्यायालय के संज्ञान में है।

तृतीय– यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप अभियुक्तगण ने वादी मुकदमा को अपमानित करने के आशय से गंदी–गंदी गालियां दीं। इस प्रकार आपके द्वारा किया गया उक्त कृत्य भा०न्या०सं० की धारा 352 के अधीन दण्डनीय अपराध है, जो इस न्यायालय के संज्ञान में है।

चतुर्थ– यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप अभियुक्तगण ने वादी मुकदमा को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया। इस प्रकार आपके द्वारा किया गया उक्त कृत्य भा०न्या०सं० की धारा 351(2) के अधीन दण्डनीय अपराध है, जो इस न्यायालय के संज्ञान में है।

पंचम– यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप अभियुक्तगण ने सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर उकसावे के बिना वादी मुकदमा, जो कि अनुसूचित जाति का सदस्य है, के ऊपर आपराधिक बल का प्रयोग किया, वादी के साथ मारपीट कर साधारण उपहति कारित की, उसे अपमानित करने के आशय से गाली गलौज की, जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया, अवमानित करने के आशय से जातिसूचक शब्दों का प्रयोग किया। इस प्रकार आपके द्वारा किया गया उक्त कृत्य एस०सी०/एस०टी० एक्ट की धारा 3(2)(va) के अधीन दण्डनीय अपराध है, जो इस न्यायालय के संज्ञान में है।

आरोप अभियुक्तगण को पढ़कर सुनाये एवं समझाये गये। अभियुक्तगण ने आरोपों को अस्वीकार किया और विचारण की मांग की।

दिनांकः– 17.10.2025

(हनी गोयल)
(J.O. CODE–UP02408)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश एस०सी०/एस०टी० एक्ट, हापुड़।

अतएव एतद्द्वारा मैं, आपको आदेशित करता हूं कि उक्त आरोपों के लिए आपका परीक्षण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

दिनांकः– 17.10.2025

(हनी गोयल)
(J.O. CODE–UP02408)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश एस०सी०/एस०टी० एक्ट, हापुड़।